संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश
भोपाल – 462 004

क्रमांक/4/शैक्ष/08/B/1426 भोपाल, दिनांक 6 सितंबर,08

प्रति,

प्राचार्य/संचालक,
समस्त निजी क्षेत्र की तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थायें,
म0प्र0

विषयः– म.प्र. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क की राशि दो किस्तों में लिये जाने विषयक ।

म.प्र. की निजी क्षेत्र की संस्थाओं प्रवेशित समस्त छात्र–छात्राओं से शिक्षण शुल्क दो किस्तों में लिये जाने का प्रावधान मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था(प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण)अधिनियम,क्रमांक 21 सन् 2007 की धारा 13 में प्रदत्त के आधार पर निजी व्यावसायिक संस्थाओं के फीस निर्धारण से संबंधित म.प्र.राजपत्र में दि0 15 अप्रैल 2008 को प्रकाशित नियन की कण्डिका 6 (8) में किया गया है।

म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के ज्ञापनों/आदेशों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र–छात्राओं को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के प्रावधान किये गये हैं । कुछ संस्थाओं की वर्तमान फीस संरचना को देखते हुए इन वर्गों के छात्र–छात्राओं उनकी पात्रातानुसार एक मुस्त फीस जमा करने में असमर्थ हैं । इस संबंध में समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि आपकी संस्थाओं में प्रवेशित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाकर उनके शिक्षण शुल्क की राशि आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त करें । आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त राशि छात्र–छात्राओं की शिक्षण शुल्क की की प्रथम किस्त रहेगीं ।

प्रवेशित छात्र–छात्राओं से यथासमय शिक्षण शुल्क की द्वितीय किस्त की राशि उनकी पात्रतानुसार प्राप्त करें।

(आशीष डोंगरे)
संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्य प्रदेश

पृ0 क्रमांक/4/शैक्ष/08/B/1427 भोपाल, दिनांक 6 सितंबर,08

प्रतिलिपिः

1. निज सचिव, मान्नीय मंत्री जी, म.प्र.शासन,तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. अपर सचिव, म.प्र.शासन,तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ ।

(आशीष डोंगरे)
संचालक तकनीकी शिक्षा